न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/8387/2006/जालौर

1– वीरीया
2– भीमा
3– चमना
4– भूरा
5– भोवनीया
6– वदीया पिसरान गलाजी, समस्त जाति सरगरा निवासी सेलड़ी तहसील आहौर जिला जालौर।

------ अपीलांट्स

बनाम

1– भोमाराम पुत्र रूपाजी।
2– शंकर पुत्र ओखा जी जाति चौधरी, नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता रूकमा देवी पत्नी ओखा चौधरी निवासी ग्राम सेलड़ी तहसील आहौर जिला जालौर।

------ रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री आर0डी0मीणा, सदस्य
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री एस.एल. माथुर, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक :– 10.03.2025

अपीलांट ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली की अपील

सं0 49/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 की ओर से विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, जालौर के समक्ष एक दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि ग्राम सेलड़ी में अवस्थित गत खसरा नं0 237 रकबा 55 बीघा 6 बिस्वा आराजी स्थित है जिसके पूर्व खातेदार रूपा, ओकीया पि0 प्रभु चौधरी थे। संवत् 2035 में ओकीया के फौत हो जाने पर उसके जायंदा लडके शंकर वादी नं0 2 व रूपा के नाम दर्ज हुई। गत खसरा नं0 237 के हाल खसरा नं0 547 से 550 कुल रकबा 7.58 है0 बने है। जिसके वादीगण खातेदार कृषक है व मौके पर काबिज होकर काश्त करते है। उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी में है परन्तु उसमें प्रतिवादीगण उनके कब्जे काश्त में रूकावट उत्पन्न कर रहे हैं। अतः उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के कथनों का विरोध करते हुए वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर अपने निर्णय दिनांक 13–01–1995 से वादीगण का वाद डिक्री करते हुए अपीलांट का काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2006 से अपीलांट्स का काउन्टर क्लेम खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–11–1995 को बहाल रखा है। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2006 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये हैं कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के

विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद अस्पष्ट था। आदेश 5 नियम 2 व 3 के रिक्वायरमेन्ट के अनुसार नहीं होने से काबिल निरस्तनीय है, फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को अनिर्णित रखते हुए वाद वादीगण डिक्री किया है। प्लीडिंग्स के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम नहीं की गयी। तनकी सं0 1 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रखा गया एवं तनकी सं0 2 व 3 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण/अपीलांट पर रखा गया। जिसमें तनकी नं0 2 जिस प्रकार कायम की जानी चाहिए थी, उस प्रकार नहीं की एवं ना ही निर्णित की है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम को वाद के अनुसार निर्णित नहीं किया। केवल वादीगण का वाद डिक्री करते हुए एक लाईन में निर्णय से अपीलांट का काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर दिया। विद्वान परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री आदेश 20 नियम 4(2) के रिक्वायरमेन्ट्स के अनुसार नहीं दिया है। उनके द्वारा किया गया निर्णय, निर्णय की परिधि में नहीं आता है एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के अनुसार नहीं है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुये राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय व डिक्री दिनांक 30-08-2006 एवं सहायक कलक्टर, जालौर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13-01-1995 को निरस्त किया जाकर अपीलांट का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जावे।

5- इसके विरूद्ध विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिये कि वादग्रस्त आराजी के एक मात्र खातेदार वादीगण/रेस्पो0 है। विद्वान सहायक कलक्टर, जालौर द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद सही डिक्री किया गया है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा विद्वान अपीलीय न्यायालय में करने पर सही खारिज की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6- हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी व मनन किया एवं आलौच्य आदेशों का अध्ययन एवं परिशीलन किया।

7- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत पर्चा खतौनी 1949 इ.एक्स.पी.12-ए. में

खसरा नं0 237 गत का काश्तकार प्रभु वल्द जीवा चौधरी (वादी के पूर्वज) दर्ज हैं। प्रस्तुत बिघोड़ी की रसीदें 1981, 1982, 1983, 1984 से 1986 में लगान अदाकर्ता का नाम खातेदार खुद तथा रूपा दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2040 में वादीगण खातेदार दर्ज हैं तथा पर्चा लगान की प्रति दिनांक 24-11-1979 में भी वादीगण का नाम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 34 में रूपा, ओखिया पि0 प्रभु (वादीगण) खातेदार दर्ज हैं व कॉलम नं0 16 के विशेष विवरण में रूपा ओखा तथा नारू पुत्र भोमा, राहुड़ा पुत्र भैरा, गला पुत्र किशना का सिर्फ नाम दर्ज है, कोई विवरण अंकित नहीं है। सम्वत् 2021 से 2022 की गिरदावरी के विशेष विवरण के कॉलम में कोई भी नाम अंकित नहीं है। गिरदावरी सम्वत् 2023 से 2026, जमाबन्दी सम्वत् 2040 में वादीगण का नाम दर्ज है। प्रस्तुत गिरदावरी व जमाबन्दियों के अनुसार वादीगण ही उक्त आराजी के खातेदार होना स्पष्ट है। प्रतिवादी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। जिससे उक्त आराजी पर प्रतिवादी का वर्तमान में कब्जा काश्त साबित हो तथा प्रस्तुत गवाहान के बयानों में भी विराधोभास एवं अस्पष्टता है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादीगण उक्त आराजी के खातेदार कृषक हैं तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी पर काबिज हैं। इसलिए तनकी सं0 1 वादी के पक्ष में निर्णित करते हुये वाद वादी दिनांक 13-11-1995 से डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर प्रतिवादीगण का प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया गया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री भी विधिसम्मत् है। जिसकी अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली में होने पर उनके द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 30-08-2006 से अपीलांट्स/प्रतिवादीगण अपने काउन्टर क्लेम को साबित करने में सफल नहीं होने से अपीलांट्स का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13-11-1995 को बहाल रखा गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में समवर्ती निष्कर्ष हैं। जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अपीलांट्स की अपील गुणावगुण पर सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट न्यायहित में गुणावगुण पर खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2006 व विद्वान सहायक कलक्टर, जालौर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13–01–1995 को बदस्तुर बहाल रखा जाता है।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य

(आर0डी0 मीणा)
सदस्य